नाम पिन्टू दर्ज कर दिया है जो गलत है प्रार्थीगण की ओर से राशन कार्ड संख्या 200004305711 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें नरेशसिंह पुत्र रामबाबूसिंह अंकित है। राजस्थान विश्वविद्यालय की अंक तालिका वर्ष 2010 रोल नम्बर 484966 में नरेशसिंह पुत्र रामबाबूसिंह व माता का नाम मुन्नी कंवर अंकित है। इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक तालिका में भी उपरोक्तानुसार नाम अंकित है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रार्थी का सही नाम नरेशसिंह है किन्तु विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय पिण्टू दर्ज कर दिया है। जो गलत है। मूल निवास प्रमाण पत्र मतदता फोटो पहान पत्र में भी नरेशसिंह पुत्र रामबाबूसिंह अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी नरेशसिह का नाम नामान्तरकरण खोलते समय पिण्टू अंकित कर दिया है जो गलत है तथा दुरूस्त किये जाने योग्य पाया जाता है। ग्राम पंचायत धोलखेडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 19–02–2021 में अंकित किया है कि पिण्टू उर्फ नरेशसिंह एक ही नाम है। इनका बोलता नाम नरेश सिंह ही है। इससे भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्ठि होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थाना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 स्वीकार किया जाकर ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 85 / 0.03, 88 / 0.65 कुल किता 2 रकबा 0.68 हैक्टयर में खातेदार पिण्टू पुत्र रामबाबूसिंह के स्थान पर नरेशसिंह पुत्र रामबाबूसिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी। तहसीलदार मण्डावर को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)